उत्तर प्रदेश शासन
प्रशासनिक सुधार अनुभाग-1
संख्या- 09/1270/43-1-2018-7(4)/2015
लखनऊ:दिनांक 16 अक्तूबर,2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की रीजनल शाखा, लखनऊ को लोक प्रशासन के क्षेत्र में कार्य करने, सेमिनार आयोजित करने तथा कार्यालय के अंशकालिक स्टाफ पर अनुमोदित व्यय करने हेतु आय - व्ययक में प्रावधानित धनराशि रु० 4,50,000/- (रुपये चार लाख पचास हज़ार मात्र) के सापेक्ष प्रथम किश्त की धनराशि रु० 2,22,500/- (रुपये दो लाख बाईस हज़ार पांच सौ मात्र) अनुदान के रूप में स्वीकृत करने तथा कथित संस्थान की सदस्यता ग्रहण करने वाले अधिकारियो/ कर्मचारियों को आर्थिक सहायता दिए जाने हेतु रु० 5,000/- (रुपये पांच हज़ार मात्र) की धनराशि आरक्षित रखने हेतु श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं।

2- आहरण- वितरण अधिकारी, प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उक्त धनराशि रु० 2,22,500/- (रुपये दो लाख बाईस हज़ार पांच सौ मात्र) आहरित कर बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अवैतनिक सचिव, आई०आई०पी०ए०, नई दिल्ली की उ०प्र० रीजनल शाखा, लखनऊ को उपलब्ध करायी जायेगी।

3- राज्य सरकार द्वारा भविष्य में संस्थान को किसी प्रकार की सहायता/ अनुदान देने पर तभी विचार किया जायेगा जब उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्थान द्वारा शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।उक्त धनराशि से सम्बन्धित लेखे राज्य सरकार द्वारा आडिटेबुल होंगे।

4- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-46 के अधीन लेखा-शीर्षक '2202-सामान्य-004-अनुसंधान-03-इंडियन-इंस्टिट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, नई दिल्ली की उत्तर प्रदेश की रीजनल शाखा लखनऊ को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य-(गैर वेतन)'के नामे डाला जायेगा ।

-- 2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375-दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रतिनिहित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

सुनील कुमार
उप सचिव।

संख्या एवं दिनाक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
2- महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र० इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अवैतनिक सचिव, आई०आई०पी०ए०, नई दिल्ली की उ०प्र० रीजनल शाखा, लखनऊ, जवाहर भवन, लखनऊ।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।